

रामेश्वर बनाम महावीर

C/No 99/2016

16/01/20

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी 34.
वकील वादी द्वारा प्रतिवादी गण की सरव्या 4.
की Reg. AD से तालकी हेतु तालवाना
पेश नहीं किया वकील वादी को आज
विनाश तक अनेक अवसर प्रदान
किये जा चुके हैं।

अतः वादी का वाद वादी
द्वारा प्रतिवादी का समान के लिए
आवेदन करने में असफल रहा अतः
आदेश 9 नियम 5 CPC में खारिज
किया जाकर पत्रावली फेरवली
शुमार होकर पत्रावली नम्बर से
कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (जम्मू)

